48/2005 — शोभालाल v/s नानूराम वगै०

27/12/24

पत्रावली पेश हुई। अज्ञ स्थानीय चार एवं निर्वाचन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली अग्रिम आदेश निमित्त 9/1/25 को पेश हो।

आज्ञा से पीठासीन

9/1/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी आदि० उप० पैरोकार आदि० उप० तहसीलदार भीलवाड़ा का पत्र दिनांक 5/4/2006 से न्यायालय द्वारा जारी डिक्री के विरुद्ध निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में पेश हो जाने से डिक्री की पालना सम्भव नहीं हो पाने की स्थिति से अवगत कराया गया। पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मूल डिक्री की अपील हो जाने से कानूनी प्रारिप है प्रार्थी आधिवक्ता द्वारा डिक्री की अपील/निगरानी पेश होना स्वीकार करते हुए डिक्री की पालना मंगाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मूल डिक्री के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में निगरानी पेश हो जाने के कारण मूल डिक्री की पालना किया जाना प्रथमदृष्टया न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी आधिवक्ता/डिक्रीदार महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 प्र० दी० सं० को खारिज किया जाता है। विधि खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

09/1/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा